न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 64 / 2023

स्टेट जरिये श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ —प्रार्थी

—:बनामः—

देव कृष्ण पुत्र जैनाराम (मालिक)
मैसर्सः—आरती फ्रिजिंग पाइंट, रीको इण्डस्ट्रीज, वार्ड नं. 17, पीरखाने के पास, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री करणी सिंह शेखावत, अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांक :—28.03.2025

प्रार्थी श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव दिनांक 16.07.2022 को समय सुबह 11.00 बजे मैसर्स—आरती फ्रिजिंग पाइंट, रीको इण्डस्ट्रीज, वार्ड नं. 17, पीरखाने के पास, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता देव कृष्ण पुत्र जैनाराम को अपना परिचय देकर दुकान का निरीक्षण किया। विक्रेता के पास दुकान रैक पर रखी स्टील ट्रे में 10 किलो आईसक्रीम के बारे में जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखी आईसक्रीम को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आईसक्रीम में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते आईसक्रीम का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म नं. 5 ए भरकर देते हुये व्यक्त की। मौके पर विक्रेता को फॉर्म नं. 5 ए भरकर दिया। जिस पर विक्रेता व गवाहन व स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फॉर्म नं. 5 ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से 1.2 किलो आईसक्रीम नमूना जांच वास्ते क्रय कर ली। क्रयशुदा आईसक्रीम को चार भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया तथा प्रत्येक बोतल में 36—36 बूंदे फॉर्मलिन की डालकर एयर टाइट ढक्कन बंद किया। चार बड़ी बोतलों पर चार लेबल चिपकाये। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा आईसक्रीम का नगद भुगतान 200 रूपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फॉर्म नं. 5 ए की प्रतिया तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे देवकृष्ण एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फॉर्म 5 ए की प्रति मालिक को देकर असल रसीद प्राप्त की। फॉर्म सं. 5 ए संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ., हनुमानगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एके—2230 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बंद कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर मालिक एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फॉर्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ के पत्रांक एफएसएसए / 2022 / 8906—07 दिनांक 24.06.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 679 दिनांक 06.06.2022 के अनुसार आईसक्रीम

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

का नमूना सबस्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिहित अधिकारी को दिनांक 24.02.2023 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। उक्त पत्र परिवाद संग संलग्न है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 4386–87 दिनांक 24.02.2023 हेतु अधिकृत किया जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन है। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard खाद्य पदार्थ आईसक्रीम का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा कथन किया कि प्रकरण में मुताबिक जांच रिपोर्ट नमूने के मानकों में नाममात्र का अंतर पाया गया है। इसके अतिरिक्त नमूना जांच में ऐसा कोई तत्व नहीं पाया गया जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। अप्रार्थी एक छोटे–से आईसक्रीम पार्लर द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करता था जोकि घाटे में चलने के कारण अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में बंद कर दिया गया है। अतः मानवीय दृष्टिकोण रखते हुये कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय की गई आईसक्रीम की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Substandard आईसक्रीम का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 5,000/–(अखरे रूपये पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़